



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली।

कार्यालय विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या- 2389- सालसा- 83/2025(संदीप/ऋ) दिनांकित 30.07.2025 के अनुपालन में पात्र आवेदकगण से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली हेतु मध्यस्थता पैनल में मध्यस्थ के रूप में सम्मिलित होने के निम्नवर्णित पात्रताओं के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

- क- ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव हो
- ख- सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
- ग- ऐसे वृत्तिक/ विशेषज्ञ, जिनके पास अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो,

आवेदकगण अपना आवेदन निर्धारित योग्यताओं/ पात्रताओं के सम्बन्धित प्रपत्रों/ प्रमाणपत्रों सहित दिनांक 19.08.2025 की सांय 04:30 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त कार्यालय विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रकाशन हेतु न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये एवं जनपद न्यायालय, शामली की आधिकारिक वेबसाईट पर भी अपलोड करायी जाये।

एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, शामली को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

(इन्दर प्रीत सिंह जोश)

जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,

शामली।